DECODING CABLE & BROADCASTING FRAMEWORK

TRAI has released a consultation paper to decode the broadcast tariff and this paper seeks to unravel the issues pending for implementing New Regulatory Framework 2020. TRAI has asked the stakeholders for their views.

Digital Addressable Systems (DAS) was introduced in January 2012 for digitalization of the Cable Television Services in four phases through an amendment in 'The Cable Television Networks (Regulation) Act 1995'. The countrywide deployment of DAS based systems got completed in March 2017. Initially, only DTH services were provided using DAS based systems. As Cable Television Networks provided services in analogue mode, the regulations for DTH and Cable Television services were dissimilar. It was natural that pursuant to implementation of DAS for Cable Television services the regulatory regime for DTH as-well-as Cable Television services are aligned.

In view of anticipated completion of DAS implementation, TRAI started consultations for a new regulatory framework in 2016. After due consultations that lasted more than one and a half years, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) notified the New Regulatory Framework 2017 on 3rd March 2017. However, the framework could not be implemented due to legal challenges. After passing legal scrutiny (in Hon'ble High Court Madras and Hon'ble Supreme Court), the new framework came into effect from 29th December 2018. The framework brought about a paradigm shift to the television distribution value chain. Transparency, non-discrimination and revenue assurance to all stakeholders were the underlying principles of the new framework. The framework enabled consumers like never before, with full control over their subscribed channels. The subscriber could choose any channel that she/he wished to view.

After implementation of the New Regulatory Framework 2017, TRAI carried out a consumer survey in July and August 2019. TRAI noticed some inadequacies impacting the consumers. There were quite a few consumer representations also. As the New Regulatory Framework changed quite a few business rules, many positives emerged. Consumers could exercise their

केबल और प्रसारण फ्रेमवर्क को डिकोड करना

ट्राई ने ब्रॉडकास्ट टैरिफ को डिकोड करने के लिए एक नया परामर्श पत्र जारी किया है और यह पत्र नये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 2020 को लागू करने के लिए लंबित मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करती है। ट्राई ने हितधारकों से उनके विचार पूछे हैं।

केवल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 में संशोधन के माध्यम से चार चरणों में केवल टेलीविजन सेवाओं के डिजिटलीकरण के लिए जनवरी 2012 में डिजिटल एड्रेसेवल सिस्टम (डीएएस) की शुरूआत की गयी थी।डीएएस आधारित प्रणालियों का देशव्यापी परिनियोजन मार्च 2017 में पूरा हुआ।प्रारंभ में डीएएस आधारित प्रणालियों का उपयोग करके केवल डीटीएच सेवायें प्रदान की गयी थी।चूंकि केवल टेलीविजन नेटवर्क ने एनालॉग मॉड में सेवायें प्रदान की थी, डीटीएच और केवल सेवाओं के लिए नियम भिन्न थे। यह स्वाभाविक था कि केवल टेलीविजन सेवाओं के लिए डीएएस के कार्यान्वयन के अनुसार डीटीएच के साथ-साथ केवल टेलीविजन सेवाओं के लिए नियामक व्यवस्था सरेखित है।

डीएएस कार्यान्वयन के प्रत्याशित रूप से पूरा होने के मद्देनजर, ट्राई ने 2016 में एक नये नियामक ढ़ांचे के लिए परामर्श शुरू कर दी।डेढ़ साल से अधिक समय तक चलने वाले उचित परामर्श के बाद भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 3 मार्च 2017 को नये नियामक ढ़ांचे 2017 को अधिसूचित किया।हालांकि, कानूनी चुनौतियों के कारण ढ़ांचे को लागू नहीं किया जा सका।कानूनी जांच (माननीय मदास उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नया ढ़ांचा 29 दिसंबर 2018 में लागू हुआ था।इस फ्रेमवर्क ने टेलीविजन वितरण मूल्य श्रृंखला में एक आदर्श वदलाव लाया।सभी हित धारकों के लिए पारदर्शिता, गैर–भेदभाव और राजस्व आश्वासन नये ढ़ांचे के अंतनिर्हित सिद्धांत थे।फ्रेमवर्क ने उपभोक्ताओं को अपने सब्सक्राइव किये गये चैनलों पर पूर्ण नियंत्रण के साथ सक्षम किया।सब्सक्राइवर कोई भी चैनल चुन सकता था जिसे वह देखना चाहता/चाहती है।

नये नियामक ढ़ांचे 2017 के लागू होने के बाद ट्राई ने जुलाई और अगस्त 2019 में एक उपभोक्ता सर्वेक्षण किया था।ट्राई ने उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाली कुछ कमियों को महसूस किया। कुछ उपभोक्ता अभ्यावेदन भी थे।जैसे ही नियामक ढ़ांचे ने कुछ व्यावसायिक नियमों को बदल दिया, वैसे ही कुछ सकारात्मक बातें सामने आयी। उपभोक्ता अपनी पसंद का उपयोग पहले की तरह कर सकते हैं। मूल्य श्रृंखला में हितधारकों choices like never before. The stakeholders in value chain were assured of their revenue shares. The trust-based audit regime through third party empaneled auditors started functioning. These measures enabled orderly growth in the broadcasting sector. Yet, it was observed that few service providers were exploiting available flexibilities of the framework to their advantages. The Authority took up a consultative exercise to address these issues. After due consultation with stakeholders, TRAI notified the New Regulatory Framework 2020 by amending the New Regulatory Framework 2017, on 1st January 2020.

Main provisions of New Regulatory Framework 2020, which differentiate it from New Regulatory Framework 2017, inter-alia, are given in Table 1:

In order to address the concern of huge carriage fee, the Authority mandated that MSOs, HITS operators, IPTV service providers would not have target market bigger than State or Union Territory as the case may be. In addition, a cap of Rs.4 lakh per month has been prescribed on carriage fee payable by a broadcaster to a DPO in a month for carrying a channel in the country. This would protect interests of small broadcasters. DPOs have been given more flexibility to place the TV channels on Electronic Programme Guide (EPG) and mandated that channels of a language in a genre would be kept together while placing channels on EPG

Provisions of New Regulatory Framework 2020 as listed at Sr. No. '1' to '3' in Table 1 have already been implemented by the respective stakeholders mainly covering DPOs. However, provisions at Sr. No. '4' to '6' were challenged by the Indian Broadcasting & Digital Foundations (IBDF) and others in the High Court of Bombay.

Provisions at Sr. No. '1' to '3' mentioned in Table 1 were also challenged by All India Digital Cable Federation (AIDCF) and others in the High Court of Kerala. However, these were duly implemented in April 2020 after the interim orders of the Hon'ble High Court of Kerala. In its final judgement dated 12th July, 2021, Hon'ble High Court upheld the amendments introduced by the Tariff Order, 2020.

With the implementation of certain provisions of New Regulatory Framework 2020 as mentioned above, many benefits of the 2020 amendments have already accrued to the consumers. Every consumer now can get 228 TV channels instead of 100 channels earlier, in a maximum NCF of Rs. 130/-. This has enhanced the उनके राजस्व शेयरों का आश्वासन दिया गया था। तीसरे पक्ष के पैनलबद्ध लेखा परीक्षकों के माध्यम से ट्रस्ट आधारित ऑडिट व्यवस्था ने काम करना शुरू कर दिया। इन उपायों ने प्रसारण क्षेत्र में व्यवस्थित विकास को सक्षम बनाया। फिर भी यह देखा गया कि कुछ सेवा प्रदाता अपने फायदे के लिए ढ़ांचे के उपलब्ध लचीलेपन का फायदा उठा रहे थे। प्राधिकरण ने इन मुद्दों को हल करने के लिए एक परामर्शी अभ्यास किया। हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद, ट्राई ने 1 जनवरी 2020 को न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 2017 में संशोधन करके न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 2020 को अधियूचित किया।

नयी रेगुलेटी फ्रेमवर्क 2020 के मुख्य प्रावधान, जो इसे नये रेगुलेटी फ्रेमवर्क 2017 से अलग करता है, अन्य बातों के साथ-साथ टेबल 1 में दिये गये हैं:

भारी कैरेज शुल्क की चिंता दूर करने के लिए प्राधिकरण ने अनिवार्य किया कि मामला कैसा कि भी एमएसओ, एचआईटीएस ऑपरेटरों, आईपीटीवी सेवा प्रदाताओं के पास राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से बड़ा लक्ष्य बाजार नहीं होगा। इसके अलावा देश में एक चैनल चलाने के लिए एक महीने में एक डीपीओ को एक प्रसारक द्वारा देय कैरिज शुल्क पर 4 लाख रूपये प्रति माह की सीमा निर्धारित की गयी है। इससे छोटे प्रसारकों के हितों की रक्षा होगी। डीपीओ को टीवी चैनलों इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (ईपीजी) पर रखने के लिए और अधिक लचीलापन दिया गया है और यह अनिवार्य किया गया है कि ईपीजी पर चैनल डालते समय एक शैली में एक भाषा के चैनलों को एक साथ रखा जायेगा।

तालिका 1 में क्रमांक 1 से 3 तक सूचीवद्ध नये नियामक ढ़ांचे 2020 के प्रावधानों को मुख्य रूप से डीपीओ को कवर करने वाले संबंधित हितधारको ढ़ारा पहले ही लागू किया जा चुका है। हालांकि क्रमांक 4 से 6 तक के प्रावधानों को इंडियन बॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (आईवीडीएफ) और अन्य लोगों ने बंबई हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

(जाइयाडार्(ज)) जार जाय लामा में प्रयुद्ध रहे प्राट में पुनाला पा पान तालिका में उल्लेखित क्रमांक 1 से 3 प्रावधानों को भी अखिल भारतीय डिजिटल केवल फेडरेशन (एआईडीसीएफ) और अन्य ने केरल हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, इन्हें केरल के माननीय हाई कोर्ट के अंतरिम आदेशों के बाद अप्रैल 2020 में विधिवत लागू किया गया था। माननीय हाई कोर्ट ने 12 जुलाई 2021 को अपने अंतिम निर्णय में टैरिफ आदेश 2020 द्वारा पेश किये गये संशोधनों को बरकरार रखा।

जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 2020 के कुछ प्रावधानों के कार्यान्वयन के साथ उपभोक्ताओं को 2020 के संशोधनों के कई लाभ पहले ही मिल चुके हैं।हर उपभोक्ता को अब अधिकतम 130रुपये के एनसीएफ में पहले के 100 चैनलों के बजाय 228 टीवी चैनल मिल सकते हैं।इसने उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम चैनलों की उपलब्धता को बढ़ाया है जिससे उपभोक्ताओं को 2017 के

	New Regulatory Framework 2017	New Regulatory Framework 2020		
1.	 NCF Maximum Rs. 130/- for 100 SD channels Maximum Rs. 20/- for each additional block of 25 SD channels 	 Maximum Rs. 130/- for 200 SD channels and all mandatory channels Maximum Rs. 160/- for more than 200 SD channels Flexibility to DPOs to declare different NCFs for different geographical regions/areas within its service area 		
2.	 Multi TV home DPOs are required to declare NCF for each subscriber Multi TV home not recognized Some DPOs were charging NCF of Rs. 130/-for each TV in multi TV homes. 	 Multi TV home defined as a household having multiple connections in the name of a single person under single ID and a single bill is generated for such home DPOs can declare full NCF for 1st TV in a multi-TV Home NCF for 2nd & subsequent TV cannot be more than 40% of declared NCF for 1st TV connection Subscribers can choose different set of channels for each TV connection in a multi-TV home 		
3.	Long Term SubscriptionsNo provision	 Defined as a subscription for a duration of 6 months or more, for which an advance payment has been made by the subscriber DPOs may offer discounts on NCF and DRP on long term subscriptions 		
4.	MRP of a channel to be part of a bouquetRs. 19/-	• Rs. 12/-		
5.	 Reasonable pricing of a-la-carte channels and bouquets by broadcasters A condition as below was prescribed, however not implemented as Hon'ble High Court of Madras held this clause as arbitrary and un-implementable: Bouquet price cannot be more than 85% of sum of prices of a-la-carte channels in that bouquet 	 Twin conditions as below were prescribed: the sum of the a-la-carte rates of the pay channels (MRP) forming part of a bouquet shall in no case exceed one and half times the rate of the bouquet of which such pay channels are a part; and the a-la-carte rates of each pay channel (MRP), forming part of a bouquet, shall in no case exceed three times the average rate of a pay channel of the bouquet of which such pay channel is a part. (Hon'ble High Court of Bombay struck down the second twin condition) MRP of a channel in a bouquet cannot be more than the MRP of any bouquet containing that channel 		
6.	 Number of bouquets offered by a broadcaster No limit 	 Number of bouquets of pay channels cannot be more than number of pay channels offered by a broadcaster 		

Table 1: Comparison of New Regulatory Framework 2017 and New Regulatory Framework 2020

availability of more television channels to the consumers, thereby enabling consumers to reduce their NCF for availing similar number of channels as per 2017 framework, by an estimated amount varying from Rs. 40/ - to 50/-.

Additionally, the amended NCF for multi-TV homes have enabled further savings to the tune of 60% on second (and more) television sets.

Some broadcasters and other stakeholders challenged various provisions of Tariff Amendment Order 2020, Interconnection Amendment Regulations 2020 and QoS Amendment Regulations 2020 in various High Courts including in the Hon'ble High Court of Bombay vide Writ Petition (L) No. 116 of 2020 and other connected matters therewith.

Hon'ble High Court of Judicature at Bombay, vide its Judgement dated 30th June 2021 upheld the validity of New Regulatory Framework 2020 except for the condition of the average test provided in the third proviso to sub-clause (3) of clause 3 of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Eighth) (Addressable Systems) Tariff (Second Amendment) Order, 2020 (herein after referred as Tariff Amendment Order 2020).

The petitioners in Bombay High Court filed Special Leave Petitions (SLPs) in the Hon'ble Supreme Court of India, challenging the judgement dated 30th June 2021 of the Hon'ble High Court of Judicature at Bombay. The matter was heard by the Hon'ble Supreme Court on 18.08.2021. However, after subsequent hearing, no interim relief was granted by the Hon'ble Supreme Court.

Subsequently, on 15th February 2022 the petitioners submitted an affidavit in Hon'ble Supreme Court for withdrawal of SLPs. On the same day Hon'ble court was pleased to grant permission for the withdrawal of the SLP and passed the following order:

"The Special Leave Petitions are dismissed as withdrawn. All questions of law open are kept open."

Meanwhile, considering that no interim relief was granted by Hon'ble Supreme Court on the judgement of Hon'ble Bombay Court, the Authority issued a letter dated 12th October 2021 to all such broadcasters seeking compliance with all the provisions of New Regulatory Framework 2020 as upheld by Hon'ble Court of Bombay within 10 days. Consequently, most of the broadcasters submitted their Reference Interconnect Offer (RIOs) to TRAI in line with New Regulatory Framework 2020 and also published these on their websites in November 2021. ढ़ांचे के अनुसार समान संख्या में चैनलों का लाभ लाभ उठाने के लिए अपने एनसीएफ को कम करने में सक्षम बनाता है, अनुमानित राशि 40-50 रूपये तक भिन्न हो सकती है।

इसके अतिरिक्त मल्टी टीवी घरों के लिए संशोधित एनसीएफ ने दूसरे (और अधिक) टेलीविजन सेटों पर 60% की अतिरिक्त बचत को सक्षम किया है।

कुछ प्रसारकों और अन्य हितधारकों ने टैरिफ संशोधन आदेश 2020, इंटरकनेक्शन संशोधन विनियम 2020 और क्यूओएस संशोधन विनियम 2020 के विभिन्न प्रावधानों को विभिन्न उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें बांबे के माननीय हाई कोर्ट में 2020 की रिट याचिका (एल) संख्या 116 और उससे जुड़े अन्य मामले भी शामिल हैं। माननीय बांबे उच्च न्यायालय ने 30 जून 2021 के अपने निर्णय

के माध्यम से नये नियामक ढ़ांचे 2020 की वैधता को बरकरार रखा, सिवाय इसके कि खंड 3 के उप-खंड के तीसरे परंतुक में प्रदान किये गये औसत परीक्षण की स्थिति को छोड़कर।दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवायें (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ (दूसरा संशोधन) आदेश 2020 (इसके बाद टैरिफ संशोधन आदेश 2020 के रूप में संदर्भित)।

वंबई हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर किया, जिसमें माननीय बांबे उच्च न्यायालय इस मामले में 30 जून 2021 को दिये गये फैसले को चुनौती दी गयी। इस मामले की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय 18.08.2021 को की गयी थी। हालांकि बाद की सुनवाई के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई अंतरिम राहत नहीं दी गयी थी।

इसके बाद 15 फरवरी 2022 को याचिकाकर्ताओं ने एसएलपी को वापस लेने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा प्रस्तुत किया। उसी दिन माननीय उच्च न्यायालय ने एसएलपी को वापस लेने की अनुमति देने की कृपा की और निम्नलिखित आदेश पारित कियेः *'विशेष अनुमति याचिकाओं वापस लिये जाने के चलते खाारिज*

कर दिया गया है।कानून के सारे रास्ते खुले रखे गये हैं।'

इस बीच यह देखते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माननीय बांबे उच्च न्यायालय के फैसले पर कोई अंतरिम राहत नहीं दी गयी थी, प्राधिकरण ने ऐसे सभी प्रसारकों को दिनांक 12 अक्टूबर 2021 को एक पत्र जारी किया, जिसमें ऐसे सभी प्रसारकों को जो 10 दिनों के भीतर माननीय बांबे उच्च न्यायालय द्वारा बनाये गये न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 2020 के सभी प्रावधानों का अनुपालन करने की मांग कर रहे हैं। नतीजतन अधिकांश प्रसारकों ने अपने रेफरेंस इंटरकनेक्शन ऑफर (आरआईओ) को ट्राई को न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 2020 के अनुरूप प्रस्तुत किया और नवंबर 2021 में इन्हें अपने वेबसाइटों पर प्रकाशित भी किया। New tariffs announced by the major broadcasters reflected a common trend i.e., the prices of their most popular channels including sports channels were enhanced beyond Rs. 20/- per month. Complying to the extent provisions, as regards the inclusion of pay channels in a bouquet, all such channels priced beyond Rs. 12/- (per month) are kept out of bouquet and are offered only on a-la-carte basis. The revised RIOs as filed indicate a wide-scale changes in composition of almost all bouquets being offered.

Immediately after new tariffs were announced, TRAI received representations from Distribution Platform Operators (DPOs), Associations of Local Cable Operators (LCOs) and Consumer Organizations. DPOs also highlighted difficulties likely to be faced by them in implementing new rates in their IT systems and migrating the consumers in bulk to the new tariff regime through the informed exercise of options, impacting almost all bouquets, due to upward revision in the rates of pay channels and bouquets declared by broadcasters.

In consideration of impending changes in consumer offerings, the Authority accepted to provide sufficient time to stakeholders for the benefit of consumers. Accordingly, TRAI on 10.11.2021, issued a letter to all the service providers on "Implementation plan- New Regulatory Framework 2020". The plan provided that the broadcasters may report to the Authority, any change in name, nature, language, Maximum Retail Price (MRP) per month of channels, the composition of bouquets and MRP of bouquets of channels as per the New Regulatory Framework 2020, latest by 31st December 2021 and simultaneously publish such information on their website. The broadcasters who had earlier submitted their RIOs were also allowed to revise the same.

On the basis of the representations TRAI also started engaging with the stakeholders through formal/ informal interactions for facilitating the smooth implementation of the pending provisions of the New Regulatory Framework 2020 with almost no major disruptions in ongoing services of the consumers.

Additionally, the representations from LCOs also highlight the adverse impact on subscription of linear TV with reduction in number of subscribers and declining television viewership, due to the increasing popularity of Free Dish (no cost to the consumers except installations of dish antenna) and Subscribed Video on Demand (SVOD), popularly known as Over The Top (OTT) प्रमुख प्रसारकों द्वारा घोषित किये गये नये टैरिफ एक सामान्य प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, अर्थात् खेल चैनलों सहित उनके सबसे लोकप्रिय चैनलों की कीमतों में प्रति माह 20 रूपये से अधिक की वृद्धि की गयी थी। पे चैनलों को एक बुके में शामिल करने के संबंध में सीमा के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए 12 रूपये (प्रति माह) से अधिक कीमत वाले ऐसे सभी चैनलों को बुके से बाहर रखा जाता है और केवल अ-लॉ-कार्टे आधार पर पेश किया जाता है। दायर किये गये संशोधित रियो, जिसे कि पेश किया जा रहा है, लगभग सभी बुके की संरचना में व्यापक पैमाने पर बदलाव का संकेत देते हैं।

नये टैरिफ आदेश की घोषणा के तुरंत वाद ट्राई को डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (डीपीओ), एसोसिएशन ऑफ लोकल केवल ऑपरेटर्स (एलसीओ) और उपभोक्ता संगठनों से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ |डीपीओ ने अपने आईटी सिस्टम में नयी दरों को लागू करने और प्रसारकों ढ़ारा घोषित पे चैनलों और बुके की दरों में ऊपर की ओर संशोधन के कारण लगभग सभी बुके को प्रभावित करने वाले विकल्पों के सूचित अभ्यास के माध्यम से थोक में उपभोक्ताओं को नयी टैरिफ व्यवस्था में स्थानांतरित करने में उनके सामने आने वाली कठिनाईयों पर प्रकाश डाला |

उपभोक्ता पेशकशों में आसान्न परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं के लाभ के लिए हितधारकों को पर्याप्त समय देना स्वीकार किया। तदनुसार ट्राई ने 10.11.2021 को सभी सेवा प्रदाताओं को *'कार्यान्वयन योजना–नया नियामक ढ़ांचा 2020'* पर एक पत्र जारी किया। योजना में प्रावधान है कि बॉडकास्टर प्राधिकरण को रिपोर्ट कर सकते हैं, नाम, प्रकृति, भाषा, चैनलों के प्रतिमाह अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 2020 के अनुसार चैनलों के बुके की संरचना और एमआरपी, नवीनतम 31 मार्च 2021 तक और साथ ही इस तरह की जानकारी को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे। जिन प्रसारकों ने पहले अपने रियो प्रस्तुत किये थे, उन्हें भी इसे संशोधित करने की अनुमति दी गयी थी।

अभ्यावेदन के आधार पर ट्राई ने उपभोक्ताओं की चल रही सेवाओं में लगभग कोई बड़ा व्यवधान नहीं होने के साथ नये नियामक ढ़ांचे 2020 के लंबित प्रावधानों के सुचारू कार्यान्वयन की सुविधा के लिए औपचारिक/अनौपचारिक बातचीत के माध्यम से हितधारकों के साथ जुड़ना शुरू कर दिया।

इसके अतिरिक्त, एलसीओ के अभ्यावेदन फ्री डिश (एंटीना की स्थापना को छोड़कर उपभोक्ताओं को कोई कीमत नहीं) और सब्सक्राइब्ड वीडियो की बढ़ती लोकप्रियता के कारण और सब्सक्राइब्ड वीडियो ऑन डिमांड (एसवीओडी), जिसे ओवर द टॉप (ओटीटी) सेवाओं के रूप में जाना जाता है, के चलते ग्राहकों की संख्या में कमी और टेलीविजन दर्शकों की संख्या में कमी के साथ लिनियर टीवी की सदस्यता पर प्रतिकूल प्रभाव को भी उजागर करते हैं।उपभोक्ता

CATV POLICY

services. The consumer organizations have highlighted likely increase in their subscription due to the price rise of popular channels, consequent upon implementation of proposed RIOs filed by the broadcasters.

In view of above, the stakeholders requested TRAI to take immediate measures to address certain issues, arising due to the implementation of pending provisions of New Regulatory Framework for safeguarding the growth of the sector including those of viewership.

Figure 1 below illustrates the revenue flow in broadcasting value chain.

The figures below indicate the trend in television viewership and revenue generations. During last more than one-year (approx. 8 quarters) total active number of DTH subscribers has decreased from 70.99 million to


संगठनों ने प्रसारकों द्वारा दायर प्रस्ताावित रियो के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप लोकप्रिय चैनलों के मूल्य वृद्धि के कारण अपनी संभावित सदस्यता में वृद्धि पर भी प्रकाश डाला।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए हितधारकों ने ट्राई से अनुरोध किया कि दर्शकों सहित क्षेत्र के विकास की सुरक्षा के लिए नियामक ढ़ांचे के लंबित प्रावधानों के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले कुछ मुद्दों के समाधान के लिए तत्काल कोई उपाय करे।

चित्र 1: प्रसारण मूल्य श्रृंखला में राजस्व प्रवाह का उदाहरण

नीचे दिये गये आंकड़े टेलीविजन दर्शकों की संख्या और राजस्व पीढ़ी में रूझान दर्शाते हैं।पिछले एक वर्ष से अधिक (लगभग 8 तिमाहियों में) के दौरान डीटीएच ग्राहकों की कुल सक्रिय संख्या 70.99 मिलियन से घटकर 68.89 मिलियन हो गयी है(चित्र 2 देखें)।इसी तरह प्रमुख






68.89 million (refer figure 2). Similarly, number of total active subscribers of major MSOs/HITS operators having more than 1 million subscribers, has decreased from 47.58 million to 45.55 million (refer figure 3). The revenue of broadcasters as well as DPOs is projected to decrease in FY 2020-21(refer figure 4). The advertisement revenue of broadcasters is also projected to decrease in FY 2020-21 (refer figure 5).


Easy availability of the TV content on the Over The Top (OTT) platforms/ Apps is also posing a serious challenge to the traditional cable/dish TV services. In 2013, there were only a couple of OTT platforms in India एमएसओ/एचआईटीएस ऑपरेटरों के 1 मिलियन से अधिक ग्राहकों वाले कुल सक्रिय ग्राहकों की संख्या 47.58 मिलियन से घटकर 45.55 मिलियन रह गयी (चित्र 3 देखें)।वित्तवर्ष 2020-21 में प्रसारकों के साथ-साथ डीपीओ के राजस्व में कमी का अनुमान (चित्र 4 देखें) है।वित्तवर्ष 2020-21 में प्रसारकों के विज्ञापन राजस्व में कमी का अनुमान (चित्र 5 देखें) है।

ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म/ऐप्स पर टीवी सामग्री की आसान उपलब्धता भी पारंपरिक केवल/डिश टीवी सेवाओं के लिए एक गंभीर चुनौती वन रही।2013 में भारत में बहुत कम दर्शकों के साथ केवल कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म थे।हालांकि पिछले दो से तीन वर्षो के

CATV POLICY



Source: Stakeholders' Report to TRAI





Source: Stakeholders' Report to TRAI


with very few viewers. However, during last two to three years the number and type of such platforms have increased manifolds. As per industry report, in 2020 there were over 40 OTT video platforms in India with 400 million customers which are expected to grow to 555 million in the year 2022.

Figure 6 depicts growth of revenues of OTT and digital video services. In the 2020 financial year (FY)


दौरान ऐसे प्लेटफॉर्मो की संख्या और प्रकार में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।उद्योग की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत में 400 मिलियन ग्राहकों के साथ 40 से अधिक ओटीटी वीडियो प्लेटफॉर्म थे, जो वर्ष 2022 में बढ़कर 555 मिलियन हो जाने की उम्मीद है।

चित्र 6 में ओटीटी और डिजिटल वीडियो सेवाओं के राजस्व में वृद्धि को दर्शाया गया है। 2020 के वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) में अर्थव्यवस्था में समग्र मंदी के वावजूद, डिजिटल और ओटीटी क्षेत्र ने 26

CATV POLICY



Source: Stakeholders' Report to TRAI



Source: KPMG in India's Media & Entertainment Report 2020

despite an overall slump in the economy, digital and OTT sector registered a growth of 26 per cent, the highest growth amongst other segments of the M&E sector.

Above trends indicate that the television broadcasting sector is facing challenges not only due to pandemic but also due to other geo-political conditions. It is important for a regulator to be aware and address the issues for enabling the industry. During the interactions,

प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो एमएंडई क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में सबसे अधिक वृद्धि है।

उपरोक्त प्रवृत्तियों से संकेत मिलता है कि टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र न केवल महामारी के कारण बल्कि अन्य भू-राजनीतिक स्थितियों के कारण भी चुनौतियों का सामना कर रहा है। एक नियामक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह जागरूक हो और उद्योग को सक्षम बनाने के लिए मुद्दों का समाधान करे | बातचीत के दौरान हितधारकों ने यह स्पष्ट कर

Stakeholders have made it clear, that implementation of Tariff Amendment Order 2020 in its current form will cause large scale disruptions. This may aggravate the current issues faced by the sector.

Almost all the stakeholders opined that the

Table 2: Growth of OTT Video customers(having more than 1 million subscribers)				
	OTT Video customer base (in million)			
	FY20	FY21P	FY22P	
Total Online Video viewers in India	400	486	555	
Total SVOD subscribers in India	22	40	57	
Total SVOD subscriptions in India	22	41	62	
Source: KPMG in India's Media & Entertainment Report 2020				

दिया कि टैरिफ संशोधन आदेश 2020 को अपने वर्तमान स्वरूप में लागू करने से बड़े पैमाने पर व्यवधान उत्पन्न होंगे | इससे क्षेत्र की मौजूदा समस्या और बढ़ सकती है | लगभग सभी हितधारकों का पन भा कि प्राण्यकों

का मत था कि प्रसारकों द्वारा धो षित टैरिफ उपभोक्ताओं की पेशकशों में बडे पैमाने पर बदलाव

tariffs announced by the broadcasters will cause large-




Figure 6: Growth of revenue of broadcasters and DPOs

Source: KPMG in India's Media & Entertainment Report 2020

scale changes in consumer offerings. The DPOs/ LCOs will have to obtain revised choices possibly from every consumer. The stakeholders suggested and requested TRAI that to enable smooth implementation of new regulatory framework 2020 and also to avoid likely disruption for consumers, some provisions of the New Regulatory Framework 2020 may be put up for revision through appropriate consultation.

To deliberate on the issues related to pending implementation of New Regulatory Framework 2020 and suggest a way forward, a committee consisting of members from Indian Broadcasting & Digital Foundation (IBDF), All India Digital Cable Federation (AIDCF) & DTH Association was constituted under the aegis of TRAI. The broad terms of reference of the Committee were as below: लायेंगे | डीपीओ / एलसीओ को संभवतः प्रत्येक उपभोक्ता से संशोधित विकल्प प्राप्त करने होंगे |हितधारकों ने सुझाव दिया और ट्राई से अनुरोध किया कि नये नियामक ढ़ांचे 2020 के सुचारू कार्यान्वयन को सक्षम करने और उपभोक्ताओं के लिए संभावित व्यवधान से बचने के लिए नये नियामक ढ़ांचे 2020 के कुछ प्रावधानों को उचित परामर्श के माध्यम से संशोधन के लिए रखा जा सकता है |

न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 2020 के लंबित कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और आगे का रास्ता सुझाने के लिए ट्राई के तत्वावधान में में इंडियन बॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (आईबीडीएफ), ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (एआईडीसीएफ) और डीटीएच एसोसिएशन के सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया था।समिति के व्यापक विचारार्थ विषय नीचे दिये गये हैं:

- a) To look into process of smooth implementations of New Regulatory Framework 2020 keeping in view consumers convenience in exercising informed choices and suggest measures thereof (if any).
- b) To identify issues of concern and suggest measures for overall growth of the broadcasting sector.

The purpose of the committee was to provide a platform and facilitate discussions among various stakeholders to come out on a common agreed path for smooth implementation of Tariff Amendment Order 2020. Stakeholders were advised to come out with an implementation plan with minimum disruptions and hassles to the consumers while implementing the New Regulatory Framework 2020. It was noted that the consumers exercise their choices differently based on their preferences. In general, the consumers of DTH platforms make use of online portals and apps. Whereas consumers served by Local Cable Operators (LCO), still prefer to convey their choices to their LCO either by filling choices on a predefined form or over the telephone. Therefore, any changes in consumer offering will entail greater efforts on part of LCOs and in turn MSOs.

The committee held discussions on 23rd December 2022. Stakeholders listed following issues which in their opinion required review:

- a. The proposed tariffs by broadcasters through their RIOs submitted in compliance to NTO 2.0 Tariff Orders would cause significant increase in the tariffs to consumers. The consumer price rise, if any is required to be limited to a reasonable limit.
- b. The proposed RIOs by Broadcasters may cause significant changes in the packages, especially due to keeping popular channels at higher a-la-carte prices, not being part of bouquets. This enjoins DPO to make very large number of plans and package offerings. Therefore, the DPOs require support from broadcasters so that they do not have to make large number of plans/ bouquets.
- c. Considering facts mentioned above, there is a need to simplify the process of exercising choices by consumers so that no channel should be provided to consumers without explicit consent. Consumers should have facility to remove any channel.
- d. Same product (television Channel) should be offered on same price whether on Linear Television, Free Dish or Subscription based Video on Demand.
- e. Stakeholders suggested that more than two more

- ए) उपभोक्ताओं को सूचित विकल्पों का प्रयोग करने में सुविधा को ध्यान में रखते हुए नये नियामक ढ़ांचे 2020 के सुचारू कार्यान्वयन की प्रक्रिया को देखने के लिए और उसके उपायों (यदि कोई हो) का सुझाव देना।
- al) चिंता के मुद्दों की पहचान करना और प्रसारण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए उपाय सुझाना।

समिति का उद्देश्य टैरिफ संशोधन आदेश 2020 के सुचारू कार्यान्वयन के लिए एक आम सहमति के रास्ते पर आने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करना और विभिन्न हितधारकों के बीच चर्चा की सुविधा प्रदान करना था।हितधारकों को सलाह दी गयी थी कि वे न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 2020 को लागू करते समय उपभोक्ताओं न्यूनतम व्यवधानों और बाधाओं के साथ एक कार्यान्वयन योजना के साथ सामने आयें।यह नोट किया गया कि उपभोक्ता अपनी पसंद के आधार पर अपनी पसंद का अलग–अलग प्रयोग करें।सामान्य तौर पर डीटीएच प्लेटफॉर्म के उपभोक्ता ऑनलाइन पोर्टल और ऐप का इस्तेमाल करते हैं।जबकि उपभोक्ता स्थानीय केवल ऑपरेटरों (एलसीओ) द्वारा सेवा प्रदान करते हैं, फिर भी वे अपने एलसीओ को पूर्वनिर्धारित फॉर्म पर या टेलीफोन पर विकल्प भर कर अपनी पसंद बताना पसंद करते हैं।इसलिए उपभोक्ता पेशकश में कोई भी बदलाव एलसीओ और बदले में एमएसओ की ओर से अधिक प्रयास करेगा।

समिति ने 23 दिसंबर 2021 को चर्चा की। हितधारकों ने निम्नलिखित मुद्दों को सूचीवद्ध किया, जिनके बारे में उनके अनुसार समीक्षा की आवश्यकता है:

- ए. एनटीओ 2.0 टैरिफ आदेश के अनुपालन में प्रस्तुत किये गये अपने रियो के माध्यम से प्रसारकों द्वारा प्रस्तावित टैरिफ उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में उल्लेखनीय वृद्धि का कारण बनेंगे। उपभोक्ता मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो, को उचित सीमा तक सीमित करने की आवश्यकता है।
- बी. प्रसारकों द्वारा प्रस्तावित रियो पैकेज में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं, बुके का हिस्सा नहीं होने के कारण विशेष रूप से लोकप्रिय चैनलों को उच्च अ-लॉ-कार्टे कीमतों पर रखा जा सकता है। यह डीपीओ को बहुत बड़ी संख्या में योजनायें और पैकेज पेशकश करने के लिए बाध्य करता है। इसलिए डीपीओ को प्रसारकों के समर्थन की आवश्यकता होती है ताकि उन्हें बड़ी संख्या में योजनायें/बुके बनाने की आवश्यकता न पड़े।
- सी. ऊपर वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं द्वारा विकल्पों का प्रयोग करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है ताकि उपभोक्ताओं के स्पष्ट सहमति के बिना कोई चैनल प्रदान नहीं किया जा सके। उपभोक्ताओं के पास किसी भी चैनल को हटाने की सुविधा होनी चाहिए।
- डी. एक ही उत्पाद (टेलीविजन चैनल) को समान कीमत पर पेश

years have passed since NTO 2.0 amendments and more than three years have passed with NTO 1.0 implementations, since then, there is no change in prices of bouquet or a-la- carte channels. This has kept industry under stress in terms of providing quality product to the end consumers. As such restoring the MRP ceiling for bouquet inclusion to unamended tariff order level of Rs. Nineteen (19/-) would be appropriate.

- f. The above provision shall also help in maintaining bouquet structure by ensuring all popular channels within ceiling limits of bouquet. Additionally, this will also create bare minimum hassles to consumers in exercising their choices under new tariffs, as most of the tariffs may continue in its current form.
- g. Allowing additional fifteen (15%) percent incentive to DPOs for bouquets as well, as has been provided for a-la-carte channel (It was pointed by the chair that the said provision pertains to Interconnection regulations and is not part of Tariff Order).
- h. The second twin condition may be reviewed to enhance the discount on sum of MRP of a-la-carte of pay channels forming part of the bouquet to fifty percent. This will enable the broadcasters to crosssubsidize the packages.
- i. Revision in the ceiling of Network Capacity Fee (NCF) of Rs 130/-.
- j. In case of multi-TV home, broadcaster should also offer MRP of their channels for each additional TV connection, beyond the first TV connection, @ 40% of the MRP declared for the first TV connection. This will help consumers in saving cost of subscribing pay channels on multiple televisions.
- k. Review of ceiling of fifteen percent (15%) on discount on sum of a-la- carte channels of MRP of that bouquet available for DPOs.
- 1. Stakeholder suggested that TRAI should take immediate corrective measures and implement revised tariff by 1st April 2022. All DPOs present insisted that to properly implement new tariffs they will require sufficient time as prescribed.

From various representations received and discussions of different associations (including LCO

किया जाना चाहिए, चाहे वह लीनियर टेलीविजन, फ्री डिश या सब्सक्रीप्शन आधारित वीडियो ऑन डिमांड पर हो।

- ई. हितधारकों ने सुझाव दिया कि एनटीओ 2.0 संशोधनों को दो साल से अधिक समय बीत चुका है और एनटीओ 1.0 कार्यान्वयन के साथ तीन साल से अधिक समय बीत चुका है, तब से बुके या अ-लॉ-कार्टे चैनलों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसने अंतिम उपभोक्ताओं के गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने के मामले में उद्योग को तनाव में रखा है। इस प्रकार बुके समावेश के लिए एमआरपी सीमा को संशोधित नहीं किये गये टैरिफ स्तर पर 19 रूपये (उन्नीस) उपयुक्त रहेगा।
- एफ.उपरोक्त प्रावधान बुके की अधिकतम सीमा के भीतर सभी लोकप्रिय चैनलों को सुनिश्चित करके बुके संरचना को बनाये रखने में मदद करेगा।इसके अतिरिक्त यह उपभोक्ताओं नये टैरिफ के तहत अपनी पसंद का प्रयोग करने में न्यूनतम परेशानी भी पैदा करेगा, क्योंकि अधिकांश टैरिफ अपने मौजूदा स्वरूप में जारी रह सकता है।
- जी. बुके के लिए डीपीओ को अतिरिक्त पंद्रह (15%) प्रतिशत प्रोत्साहन की अनुमति देना, जैसाकि अ-लॉ-कार्टे चैनलों के लिए प्रदान किया गया है (अध्यक्ष ने बताया कि उक्त प्रावधान इंटरकनेक्शन नियमों से संबंधित है और टैरिफ आर्डर का हिस्सा नहीं है)।
- एच.बुके का हिस्सा बनने वाले पे चैनलों के अ-लॉ-कार्ट के एमआरपी योग पर छूट को बढ़ाकर पचास प्रतिशत करने के लिए दूसरी जुड़वां शर्त की समीक्षा की जा सकती है।यह प्रसारकों को पैकेजों को क्रॉस सब्सिडी देने में सक्षम बनायेगा।
- आई. 130 रूपये के नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ) की उच्चतम सीमा में संशोधन।
- जे. मल्टी टीवी होम के मामले में प्रसारक को प्रत्येक अतिरिक्त टीवी कनेक्शन के लिए अपने चैनलों के एमआरपी की पेशकश करनी चाहिए, पहले टीवी कनेक्शन से परे, पहले टीवी के लिए घोषित एमआरपी के 40% की दर से।इससे उपभोक्ताओं को कई टीवी चैनल पर पे चैनलों की सदस्यता लेने की लागत बचाने में मदद मिलेगी।
- के. डीपीओ के लिए उपलब्ध उस बुके के एमआरपी के अ-लॉ-कार्ट चैनलों के योग पर छूट पर पंद्रह प्रतिशत (15%) की उच्चतम सीमा की समीक्षा।
- एल.हितधारकों ने सुझाव दिया कि ट्राई को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने चाहिए और 1 अप्रैल 2022 तक संशोधित टैरिफ लागू करना चाहिए। उपस्थित सभी डीपीओ ने जोर देकर कहा कि नये टैरिफ को ठीक से लागू करने के लिए उन्हें निर्धारित समय के अनुसार पर्याप्त समय की आवश्यकता होगी।

प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों और ट्राई के साथ आयोजित विभिन्न

groups and Consumers) held with TRAI, stakeholders raised various challenges, inter-alia as below:

- a. Every Distributor of the television channel would be required to make necessary changes aligned to new RIOs in their service offerings.
- b. Due to change in composition of packaging in bouquets, almost every consumer would be required to submit his/her new choices to the distributor concerned.
- c. New tariffs would require wide scale changes in service configuration in IT Systems by distributors.
- d. The transition would entail huge effort on part of Local Cable Operators and consumers as well as on IT systems.

It is worth noting that some of these challenges though arise every-time, whenever there is a change in tariff offerings. Such changes may occur either due to regular business practice of price revision or due to changes in TRAI regulations/ tariff orders. However, such changes impact only particular type/ class of consumers who have subscribed the effected tariffs. In the instant case, proposed RIOs by the broadcasters are likely to impact almost every composition of tariff offerings and thereby would pose challenges mentioned above.

The Stakeholders' Committee, however, requested TRAI to immediately address critical issues which could remove the impediments for smooth implementation of Tariff Amendment Order 2020. Stakeholders also listed other issues for subsequent consideration by TRAI. All members of the stakeholders' committee observed that urgent action is required to manage smooth transition and to avoid inconvenience to consumers.

In the meanwhile, keeping in view the pandemic situation in the country and requests received from stakeholders for extension of time for implementation of New Regulatory Framework 2020, TRAI vide its letter dated 03.02.2022 has further extended the time limit for implementation of New Regulatory Framework 2020. Accordingly, broadcasters & DPOs have been asked to submit compliance report on "Implementation plan- New Regulatory Framework 2020" by 28th February 2022 & 31st March 2022 respectively. Further all the DPOs are required to ensure that with effect from 1st June 2022 services to the subscribers are provided as per the bouquets or channels opted by the subscribers.

In order to address the issues as identified by the stakeholders' committee; the Authority is issuing this consultation paper for seeking stakeholders' comments on points / issues which are pending for full implementation of New Regulatory Framework. ■

संघों (एलसीओ समूहों और उपभोक्ताओं सहित) की चर्चाओं से, हितधारकों ने विभिन्न चुनौतियों को उठाया, जबकि अन्य बातों की जानकारी नीचे दी जा रही हैः

- ए. टेलीविजन चैनल के प्रत्येक वितरक को अपनी सेवा पेशकशों में नये रियो के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करने होंगे |
- बी. बुके में पैकेजिंग की संरचना में बदलाव के कारण लगभग प्रत्येक उपभोक्ता को संबंधित वितरक को अपने नये विकल्प प्रस्तुत करने होंगे।
- सी. नये टैरिफ के लिए वितरकों द्वारा आईटी सिस्टम में सेवा विन्यास में व्यापक पैमाने पर बदलाव की आवश्यकता होगी।
- डी. इस परिवर्तन के लिए स्थानीय केबल ऑपरेटरों और उपभोक्ताओं के साथ-साथ आईटी सिस्टम पर भारी प्रयास करना होगा।

यह ध्यान देने योग्य है कि हालांकि इनमें से कई चुनौतियां हर बार उत्पन्न होती है, जब भी टैरिफ पेशकशों में कोई परिवर्तन होता है।इस तरह के परिवर्तन या तो मूल्य संशोधनों के नियमित व्यापार अभ्यास के कारण हो सकता है या ट्राई के नियमों/टैरिफ आदेशों में बदलाव के कारण हो सकता है।हालांकि ऐसे परिवर्तन केवल विशेष प्रकार/उपभोक्ताओं के वर्ग को प्रभावित करते हैं जिन्होंने प्रभावी टैरिफ की सदस्यता ली है।मौजूदा मामले में, प्रसारकों द्वारा प्रस्तावित रियो से टैरिफ पेशकशों की लाभ हर संरचना को प्रभावित करने की संभावना है और इससे ऊपर उल्लिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

हालांकि हितधारकों की समिति ने ट्राई से उन महत्वपूर्ण मुद्दों को तुरंत दूर करने का अनुरोध किया जो टैरिफ संशोधन आदेश 2020 के सुचारू कार्यान्वयन के लिए बाधाओं को दूर कर सकते हैं।हितधारकों ने ट्राई द्वारा बाद में विचार करने के लिए अन्य मुद्दों को भी सूचीबद्ध किया है।हितधारकों की समिति के सभी सदस्यों ने देखा कि सुचारू संक्रमण के प्रबंधन और उपभोक्ताओं को असुविधा से बचाने के लिए तत्काल कार्र बाई की आवश्यकता है।

इस बीच देश में महामारी की स्थिति और नये नियामक ढ़ांचे 2020 के कार्यान्वयन के लिए समय के विस्तार के लिए हितधारकों से प्राप्त अनुरोध को ध्यान में रखते हुए ट्राई ने अपने पत्र दिनांक 03.02.2022 के माध्यम से नये नियामक ढ़ांचे के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा को और बढ़ा दिया है।इसके मुताबिक, प्रसारकों और डीपीओ को क्रमशः 28 फरवरी 2022 और 31 मार्च 2022 तक 'कार्यान्वयन योजना नया नियामक ढ़ांचा 2020' पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।इसके अलावा सभी डीपीओ को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि 1 जून 2022 से ग्राहकों को सेवायें ग्राहकों ढारा चुने गये बुके या चैनलों के अनुसार प्रदान की जाती हैं।

हितधारकों की समिति द्वारा पहचाने गये मुद्दों को हल करने के लिए प्राधिकरण इस परामर्श पत्र को नये नियामक ढ़ांचे के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए लंबित मुद्दों /मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए जारी कर रहा है। ■